Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

106-2015/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JUNE 18, 2015 (JYAISTHA 28, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जून, 2015

संख्या 16/एस0टी02/के0अ074/1956/धा013/2015.—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 74), की धारा 13 की उप–धारा (3) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, केन्द्रीय विक्रय कर (पंजाब) हरियाणा नियम, 1957, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम केन्द्रीय विक्रय कर (पंजाब) हरियाणा संशोधन नियम, 2015, कहे जा सकते हैं।

2. केन्द्रीय विक्रय कर (पंजाब) नियम, 1957 में, नियम 7 में, उप–नियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जून, 2015 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात्:–

> ''(1) अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई व्यवहारी प्राधिकारी को, जिसको उसने अपनी मांग तथा पहले से हस्तगत ऐसी घोषणा प्ररूपों के ब्यौरों तथा तिथि भी जिसको तथा संख्या जिसमें उसने अन्तिम घोषणा प्ररूपों को जारी किया था, को कथित करते हुए केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण और आवर्तन) नियम, 1957 के अधीन विहित प्ररूप, ग, च, ज तथा झ में घोषणा प्रदान करने हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, आवेदन करेगा।

(2) यदि उप–नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है कि व्यवहारी की मांग प्रामाणिक तथा तर्कसंगत है, तो वह उसे या तो नकद में, या सरकारी खजाना में भुगतान की गई उक्त राशि के टोकन में बैंक या खजाना रसीद प्रस्तुत करने पर 100 घोषणा प्ररूपों की प्रति पुस्तक `120.00 की दर से प्रभार के पूर्व भुगतान पर, जैसा वह ठीक समझे, बहुत से घोषणा प्ररूप जारी कर सकता है। तथापि, यदि किसी व्यवहारी द्वारा ऑनलाइन घोषणा प्ररूप के लिए आवेदन किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऑनलाईन जारी किए गए है, तो व्यवहारी द्वारा ऐसे प्रभार भुगतानयोग्य नहीं होंगे। यदि प्राधिकारी को सन्देह का कारण है कि घोषणा प्ररूपों की व्यवहारी द्वारा दुरूपयोग करने की सम्भावना है, तो वह, अभिलिखित किए गए कारणों हेतु , ऐसी प्रतिभूति/जमानत प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारी को बुला सकता है, जैसा वह ऐसे दुरूपयोग को रोकने हेतु तर्कसंगत समझे।''।

रोशन लाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th June, 2015

No. 16/ST-2/C.A.74/1956/S.13/2015.- In exercise of the powers conferred by Sub-sections (3) and (4) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Central Sales Tax (Punjab) Haryana Rules, 1957, namely:-

1. These rules may be called the Central Sales Tax (Punjab) Haryana Amendment Rules, 2015.

2. In the Central Sales Tax (Punjab) Haryana Rules, 1957, in rule 7, for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st June, 2015, namely:-

"(1) Any dealer registered under the Act shall apply to the authority, to whom he made his application for registration, for the grant of declaration in Forms C, F, H and I prescribed under the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, stating his demand and details of such declaration forms already in hand and also the date on which and the number in which he was last issued the declaration forms.

(2) If the officer referred to in sub-rule (1) is satisfied that the requisition of the dealer is genuine and reasonable he may issue him as many declaration forms as he deems fit on prior payment of charges @ `120.00 per book of 100 declaration Forms, either in cash or into the Government Treasury and on furnishing the bank or treasury receipt in token of the said amount having been paid. However, in case the declaration form is applied for by a dealer online and are issued online by the competent authority then no such charges shall be payable by the dealer. In case the officer has reason to suspect that the declaration forms are likely to be misused by the dealer, he may, for reasons to be recorded in writing, call upon the dealer to furnish such security / surety, as he may think reasonable to guard against the misuse of the same.".

ROSHAN LAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

53438—C.S.—H.G.P., Chd.